प्लास्टिक कैरी बैग्स को प्रतिबन्धित किये जाने के संबंध में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 18.03.2016 के प्राविधानों का समुचित रूप से कियान्वयन किये जाने के लिये गठित "राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति" की प्रमुख सचिव,महोदय नगर विकास की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 24.10.2017 का कार्यवृत्त :

उक्त बैठक में निम्नांकित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री देवी शंकर शुक्ल, अनुसचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्रीएम0पी0 सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या,उ0प्र0।
4. डा0 ब्रजेश बहादुर, वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. श्री जगदीश यादव, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद, उ0प्र0।
6. जितेन्द्र केन, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, फैजाबाद,उ0प्र0।
7. श्री अमृत लाल बिन्द, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर, उ0प्र0।
8. डा0एम0ए0 अन्सारी, उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी, नगर निगम, वाराणसी, उ0प्र0।
9. श्री आर0के पाल पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, कानपुर ,उ0प्र0।
10. डा0 मनमोहन अग्रवाल, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा, उ0प्र0।
11. श्री अरूणेश कुमार द्विवेदी, अनुसचिव,आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. श्री पंकज भूषण, पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, उ0प्र0,लखनऊ।
13. श्री कमल जीत सिंह, मुख्य अभियन्ता,राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
14. श्री श्रवण कुमार सिंह,संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
15. श्री आर0के0 जायसवाल, सहायक शिक्षा निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
16. सुश्री रितिका चौधरी, सचिव, संकल्प फाउण्डेशन,लखनऊ।
17. सुश्री ललिता प्रदीप, संयुक्त निदेशक,बेसिक शिक्षा, लखनऊ।

बैठक में उ0प्र0 में प्लास्कि कैरी बैग को प्रतिबन्धित करने के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श हुआ। इस विचार-विमर्श में प्लास्कि कैरी बैग को प्रतिबन्धित करने हेतु अनेक उपाय सुझाये गये।

- समिति के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि थोक विक्रेताओं के स्तर पर प्लास्टिक कैरी बैग्स के विक्रय पर प्रतिबंध लगाकर पॉलिथीन के प्रयोग को कम किया जा सकता है जबकि कुछ सदस्यों का मानना था कि फुटकर विक्रताओं के स्तर पर प्लास्टिक कैरी बैग के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाकर पॉलिथीन के प्रयोग को रोका जा सकता है।
- समिति के कुछ सदस्यों का मानना था कि यदि प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन को प्रतिबन्धित कर दिया जाए तो प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। इसी कम में प्रमुख सचिव, महोदय, नगर विकास विभाग द्वारा अपर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय से उ0प्र0 के प्लास्टिक कैरी बैग उत्पादनकर्ताओं की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। बैठक मे उपस्थित व सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में गुजरात आदि अन्य प्रदेशों से

प्लास्टिक का अवैध रूप से आयात हो रहा है,जिस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना भी आवश्यक है। इस कम में प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास विभाग द्वारा बिक्री कर विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की बात की गयी।

- समिति के अधिकांश सदस्यों द्वारा सोशल मीडिया,प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं स्वंसेवी संगठनों आदि के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाये जाने पर जोर देने की बात कही गई।
- बैठक में उपस्थित संकल्प फाउण्डेशन की सचिव सुश्री रितिका चौधरी द्वारा संकल्प फाउण्डेशन के कार्यो का प्रस्तुतीकरण किया गया जिसके तहत संकल्प फाउण्डेशन द्वारा सीमेन्ट निर्माण की कम्पनियों को प्लास्टिक अपशिष्ट उपलब्ध कराया जाता है, जिसकों रिसाइकिल कर सीमेण्ट निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है।
- बैठक में उपस्थित कुछ सदस्यों द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्राख्यापित "अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016" के नियम–15 मे उल्लिखित प्रावधानों की चर्चा की गयी, इस कम में प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास विभाग द्वारा "अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016" के नियम–15 में उल्लिखित प्रावधानों के कम में शासनादेश निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्राख्यापित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016" के नियम–15 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये है:–

नियम–15 कैरी–बैगों की कीमत सुनिश्चित करना:–(1) जो दुकानदार और पथ विक्रेता किसी वस्तु को वितरित करने के लिए प्लास्टिक के कैरी बैग उपलब्ध कराना चाहते है उन्हें स्थानीय निकाय के पास पंजीकरण कराना होगा। स्थानीय निकाय, भारत के राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशित होने की तारीख से छह माह की अवधि के अंदर,चार हजार रूपये प्रतिमाह की दर से न्यूनतम अड़तालीस हजार रूपयें या प्लास्टिक प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने के बाद ऐसे पंजीकरण के लिए अपने राज्य के उपयुक्त कानूनों/उपनियमों के तहत अधिसूचना या आदेश के द्वारा प्रावधान करेगा। संबंधित स्थानीय निकाय उत्पादन या बिक्री क्षमता को ध्यान में रखते हुए अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क निर्धारित कर सकता है। पंजीकृत दुकानदार प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करेगा कि प्लास्टिक कैरी बैग भुगतान करने पर दिये जाते है:–

(2) वस्तुओं का वितरण करने के लिए प्लास्टिक कैरी–बैग उपलब्ध कराने के लिए केवल पंजीकृत दुकानदार या पथ विक्रेता पात्र होगें।

(3) शहरी स्थानीय निकाय कैरी बैग के लिए उपभोक्ताओं द्वारा संदत रकम का अनन्यतः उपयोग अपनी अधिकारिताओं के भीतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की संधार्यता के लिए करेगा।

उपर्युक्तानुसार हुए विचार–बिमर्श तथा संस्तुति के पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

भवदीय,

9.11.17

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

Brijesh GO

उ0प्र0 शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्याः5055 / नौ–5–2017–258सा / 2009टीसी
लखनऊः दिनांकः 10 नवम्बर,2017

प्रतिलिपि बैठक में उपस्थित समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Brijesh GO